# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
## (पीठासीन अधिकारीः जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदकः—

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

**बनाम**

अप्रार्थीगण/अभियुक्तगणः—

1. पुलकित जैन पुत्र श्री विनय पहाड़िया, खाद्यकारोबारकर्ता
   फर्मः—मैसर्स पहाड़िया ऐजेन्सीज, जैन मदिर के पास, मकराना
2. प्रवीण कुमार जैन, मालिक
   फर्मः—मैसर्स पहाड़िया ऐजेन्सीज, जैन मदिर के पास, मकराना
3. अभिषेक शर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा, मालिक
   फर्म — मैसर्स आरव फूड प्रोडेक्ट, प्लॉट न. 440, दौसा किराणा स्टोर के पास, बरकत नगर, जयपुर
4. Sh Darshan Mangaldas Patal, Director
   फर्म मैसर्स— M/s Vitaz Food and Beverages Pvt. Ltd, P.No. E 162, GIDC, Electronic Estate, Sector 26, Gandhi Nagar, Gujrat-382026
5. Sh Ashok kumar Manilal Patel, Director
   फर्म मैसर्स— M/s Vitaz Food and Beverages Pvt. Ltd, P.No. E 162, GIDC, Electronic Estate, Sector 26, Gandhi Nagar, Gujrat-382026
6. फर्म मैसर्स— M/s Vitaz Food and Beverages Pvt. Ltd, P.No. E 162, GIDC, Electronic Estate, Sector 26, Gandhi Nagar, Gujrat-382026

प्रकरण संख्या :—19/2023

जीसीएमएस न. 2023/114

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 "

निर्णय दिनांक :—29.08.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.03.2023 को समय 2:00 बजे पर फर्म मैसर्स पहाड़िया ऐजेन्सीज, जैन मदिर के पास, मकराना पर पॅहुचा। वहां पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 16:24:11 IST
Reason: SelfAttested



अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति पुलकित जैन पुत्र श्री विनय पहाड़िया खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के आधार कार्ड आगामी खरीद बिल की स्व हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतिया पेश कि, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर Instant Drink Mix (Vitaaz Mango Flavour) के 29 जार प्रत्येक 500 ग्राम रखे है के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 500 ग्राम के 4 जार खाद्यकारोबारकर्ता पुलकित जैन को सूचित करते हुए वास्ते नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत पुलकित जैन के बताए अनुसार रू. 512/–नगद (अक्षरे रूपये पाँच सौ बारह मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता पुलकित जैन के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह Instant Drink Mix (Vitaaz Mango Flavour) नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2205 लिखा एवं अन्य विवरण अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कि[illegible] प्रत्येक नमूना जारों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सप[illegible] एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्ष[illegible] कोड व क्रमांक Q-2205 को [illegible] भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: SelfAttested



अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। कारोबारकर्ता ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता पुलकित जैन एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

(5) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। एक नमुना भाग मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटर कवर में एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियाँ एंव नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 268 दिनांक 24.04.2023 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/328/Act/2023/357 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना Instant Drink Mix (Vitaaz Mango Flavour) मिसब्राण्डेड है। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स आरव फूड प्रोडेक्टस् बरकत नगर, जयपुर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 27.06.2023 तथा मैसर्स आरव फूड प्रोडेक्टस् बरकत नगर, जयपुर से प्राप्त पत्र व खरीद का बिल की छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(8) यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स श्री बालाजी मॉर्केटिंग, हैप्पी स्कुल के पास, रानी बाजार, बीकानेर को प्रेषित पत्र दिनांक 24.07.2023 तथा मैसर्स श्री बालाजी मॉर्केटिंग से प्राप्त पत्र, खाद्य अनु[illegible] जीएसटी सर्टिफिकेट व आगामी खरीद का बिल की छाया प्रति न्याय निर्णयन [illegible] के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: SelfAttested

(9) यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने M/s Vitaa[illegible] Food and Beverages Pvt. Ltd. Gandi Nagar Gujrat को प्रेषित पत्र दिनांक 22.08.2023 से प्राप्त पत्र,



अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी (seal)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी सर्टिफिकेट व भागीदारो के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(10) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ Instant Drink Mix (Vitaaz Mango Flavour) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2020 अध्याय 2 Contravention of Regulations No. 5.(10)(a) का उल्लंघन पाया, जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(11) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता मयंक गुप्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपना विस्तृत जवाब 11 पृष्ठों में अग्रेजी भाषा में पेश किया गया जिसको सक्षिप्त सार निम्नानुसार है।

The respondents, Shree Pulkit Jain and others, are seeking to overturn the proceedings initiated against them under the Food Safety and Standards Act, 2006. They argue that the case against them is built on a foundation of flawed grounds and procedural irregularities, and they present a strong defense based on several key points:

- **Retailer Status:** They assert that they are merely retailers of the product in question, "Vitaaz Mango Flavour" Instant Drink Mix, and have not tampered with it in any way. They provide supporting documentation, including purchase invoices and an FSSAI license, to demonstrate their compliance with food safety regulations. They argue that under the provisions of Sections 26, 27, and 80D of the Food Safety Act, they should not be held liable for the misbranding of the product. Their role as retailers, they emphasize, does not extend to the manufacturing or labeling of the product, and therefore, they should not be held responsible for any alleged misbranding.

- **Improvement Notices:** The respondents highlight Section 32 of the Food Safety Act, which empowers the Designated Officer to issue improvement notices for misbranding offenses. They argue that since they have complied with all relevant regulations, no formal complaint should have been filed against them. This, they contend, would have saved valuable government time and resources. They believe that the Designated Officer should have opted for a less formal approach, issuing an improvement notice instead of pursuing a formal complaint, which they argue is unnecessary and burdensome.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: Attested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

- **Misleading Information:** The respondents strongly deny any misrepresentation of their product through labeling. They assert that their product labeling did not mislead consumers, as required by Section 23 of the Food Safety Standards Act. Therefore, they argue that the claim of misbranding is unfounded. They believe that the labeling of their product is clear and accurate, and that it does not contain any misleading information that could deceive consumers.

- **Competence of the Food Safety Officer:** The respondents challenge the competence of the Food Safety Officer who collected the sample, citing a ruling from the Rajasthan High Court that deemed certain officers disqualified due to lack of requisite qualifications. They argue that the officer's actions were invalid as they did not meet the necessary legal standards. They believe that the officer's lack of proper qualifications undermines the legitimacy of the entire process, and that the sample collection should be deemed invalid.

- **Laboratory Accreditation:** The respondents raise a critical point regarding the laboratory where the sample was analyzed. They assert that this laboratory is neither accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) nor recognized by the Food Authority under Section 43 of the Food Safety Act. They argue that the analysis conducted by this laboratory lacks evidentiary value, as it does not meet the legal requirements for food testing. They believe that the analysis conducted by an unaccredited laboratory is unreliable and cannot be used as evidence against them.

- **Sanction for Prosecution:** The respondents argue that the sanction for prosecution granted by the Designated Officer was made without proper consideration of the facts and evidence. They emphasize that the authority must apply its mind to the relevant materials before sanctioning prosecution, and in this case, it failed to do so. They believe that the Designated Officer's decision to sanction prosecution was arbitrary and lacked a proper understanding of the case, which they argue is a violation of their rights.

**In Conclusion:**

The respondents, feeling aggrieved by the departmental proceedings, respectfully request that the court dismiss the case against them. They believe that the proceedings are based on flawed grounds and procedural irregularities. They seek to have the impugned order of the Additional District Magistrate quashed and set aside, emphasizing the need for justice and adherence to legal standards in food safety regulations. The respondents also reserve the right to present additional arguments during the proceedings. They are confident that the court will recognize the flaws in the case against them and uphold their rights under the law.

**Prayer for Relief:**

The respondents pray for the case to be dismissed with costs and for any other orders deemed appropriate by the court in the interest of justice. They believe that the court will recognize the validity of their arguments and grant them the relief they seek.

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: SelfAttested



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने अभियुक्तगण के उपरोक्त जवाब का बिन्दुवार प्रतिउत्तर पेश किया है जो अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत जवाब का बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया गया जो निम्नानुसार है।

- माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहे है। एफएसएसए 2006 के सेक्शन 49 व 27 (2) (c) एवं 27 (3) (c) के तहत खाद्य कारोबारकर्ता की जिम्मेदारी है।
- नियमानुसार न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया।
- माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं।
- राज्य सरकार की अधिसूचना न्याय निर्णयन आवेदन में संलग्न है।
- राज्य सरकार की अधिसूचना न्याय निर्णयन आवेदन में संलग्न है।
- राज्य सरकार की अधिसूचना न्याय निर्णयन आवेदन में संलग्न है।
- माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर NABL Notified है।
- माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। नमूना कम्पनी पैक्ड अवस्था में लिया गया था।
- नियमानुसार मस्तिष्क का प्रयोग कर एफएसएसए 2006 के सेक्शन 36 (3)(e) के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।
- माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(12) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एंव प्रस्तुत जवाबों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं LS/328/Act/2023/357 दिनांक 29.03.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion-The sample of Instant Drink Mix (Vitaaz Mango Flavour) bearing Code no. and Sr. no. Q-2205 of Designated Offier cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded Under Section 3 (1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता पुलकित जैन से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Instant Drink Mix (Vitaaz Mango Flavour) नमूना नं. Q–2205 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्डेड पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एवं धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), 52 एंव 3 (1) (zf)(C)(i) इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 26:— खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः—

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:—

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्ला पदार्थ मिले हैं।

धारा 52

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा — 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(zf) ''मिथ्याछाप वाला खाद्य'' से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है—

(C) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रायायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है।

(13) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा. रि/2023/268 दिनांक 24.04.2023 से खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2205 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) (Contravention of Regulation No.5[3][b][ii][D] nutrition information given but percentage contribution of RDA & quantity of sodium is not mention on label of sample), धारा 26 की उपधारा 2(ii) [illegible] मानक नियम 2020 के अध्याय 2 में Contravention of Regulation No. [illegible] 10)(a) (Use by/Expiry not given) ) का उल्लंघन पाया, जो इसी अधिनि[illegible] की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्[illegible] दोषी व उतरदायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-1/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की दण्डनीय धारा 52 के तहत :-

**अभियुक्त संख्या 01** श्री पुलकित जैन पुत्र श्री विनय पहाड़िया मैसर्स पहाड़िया ऐजेन्सीज, जैन मदिर के पास, मकराना पर **जुर्माना राशि रूपये 5,000/-,**

**अभियुक्त संख्या 02** श्री प्रवीण कुमार जैन, मालिक मैसर्स पहाड़िया ऐजेन्सीज, जैन मंदिर के पास, मकराना पर **जुर्माना राशि रूपये 5,000/-,**

**अभियुक्त संख्या 03** श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा, मालिक मैसर्स आरव फूड प्रोडेक्स, प्लॉट नं. 440, दौसा किराणा स्टोर के पास, बरकत नगर, जयपुर पर **जुर्माना राशि रूपये 10,000/-** तथा

**अभियुक्तगण संख्या 04 से 06** Sh Darshan Mangaldas Patel, Director एवं Sh Ashok kumar Manilal Patel, Director M/s Vitaz Food and Beverages Pvt. Ltd., P.No. E 162, GIDC, Electronic Estate, Sector 26, Gandhi Nagar, Gujrat-382026 पर **संयुक्त रूप से जुर्माना राशि रूपये 40,000 की शास्ति कुल राशि रूपये 60,000 अक्षरे रूपये साठ हजार मात्र की शास्ति अधिरोपित की जाती है।** आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्तगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

यदि अभियुक्तगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 29.08.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:11 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ कुचामन सिटी ★